FORM No III

फर्द अहकाम

(नियग 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर

न्याजु खां व अन्य बनाम सरदार खां व अन्य

अन्तर्गत धारा 88,53, 188 आरटीए मु0न0 112/2025 (2025/240)

[illegible]ख [illegible]म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.09.2025	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आरटीए का जरिये अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगणों को रजि0 एडी0 तलवाना/नोटिस पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 13.11.2025च को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर	
13/11/25	वकील वादीगण उप0। प्रति0 सं0 1/1/1 की ओर से वकील कुलदीप सिंह, प्रति0 सं0 1/1/3 व 2/1 की ओर से वकील सलीम खां, प्रति0 सं0 4/2 की ओर से वकील घनश्याम सिंह लखावत व प्रति0 सं0 5/2 की ओर से वकील नरेश जगनानी ने वकालतनामा पेश कर जवाबदावा पेश करने हेतु समय चाहा। शेष प्रतिवादीगण के नाम जारी नोटिस बाद तामील [illegible] अप्राप्त। पत्रावली वास्ते जवाबदावा/इंतजार नोटिस दिनांक 29/1/26 को पेश हो। [illegible] पत्रावली का अवलोकन करने से जानकारी में आया कि प्रति0 सं0 1/1/2, 1/1/4 से 1/1/7, 1/1/8/1 से 1/1/8/4, 2/3 से 2/5, 3/1, 4/4, 5, 7 एवं 8/1 व 8/2 को बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित है। अप्रार्थी सं0 5/1/1 से 5/3 के नाम जारी नोटिस बाद अदम तामील प्राप्त। पुनः नोटिस जारी कर पेश करावे। बावजूद अनुप0 प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावे। पत्रावली दिनांक 29/1/26 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर	
29/1/26	उपस्थित केवल वकील प्रतिवादीगण उप0। वकील वादीगण व स्वयं वादीगण को रुक-रुक कर कई आवाजें कई बार आवाज लगवाई गई किन्तु बावजूद कई आवाजों के भी कोई उपस्थित न तो वादीगण एवं ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित हुए। अतः मूल वाद अदम पैरवी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नंबर से कम हो एवं संग्रहागार हो। सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर	

FORM No III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर

न्याजू खां बनाम सरदार खां व अन्य
किस्म मुकदमा : बाजदायरी प्रार्थना पत्र (दावा)
मुकदमा नम्बर 01/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13.01.2026	वकील प्रार्थी एवं वकील प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 2/2 उपस्थित। उन्होने बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का निवेदन किया। उन्हे प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त उनवानी प्रकरण दिनांक 29.12.25 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। वरवक्त दिलाये जाने आवाज अन्य न्यायालय में बहस में व्यस्त होने से वे इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावें। वकील प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 2/2 ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं कर प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति का अंकन करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित किये। अतः न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल वाद के साथ नत्थी हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
13.01.2026	पत्रावली पेश हुई। बाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2026 को स्वीकार होने से आज मूल वाद पुनः नम्बर पर लिया जाता है। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.03.2026 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर